RF No. 1425
5-10-2011

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः एफ.2(1)साप्र/2/2011

जयपुर, दिनांक 26.9.2011

–: आदेश :–

निम्नांकित अधिकारियों को उनकी द्वितीय श्रेणी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर निम्नलिखित शर्तो के आधार पर एतदद्वारा आवंटन/परिवर्तन किये जाते हैं :–

क्र. स.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवंटित आवास संख्या	सेवानिवृति दिनाक
1.	9/04	श्री पी. आर. शर्मा उप निदेशक, कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर	एम–14, गांधीनगर	31.7.2021
2.	13/06	श्री आ. पी. मीणा लेखाधिकारी, सिंचाई विभाग, सिंचाई भवन, जायका प्रोजेक्ट, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर	एन–26, गांधीनगर	1.7.2023
3.	28/2010	श्री विश्वास पारीक उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर	II/39, गांधीनगर	31.5.2029
4.	29/2010	श्री आनन्द मौर्य जिला उप निदेशक माध्यमिक जयपुर संभाग, जयपुर।	एन–31, गांधीनगर (II/50, गांधीनगर के स्थान पर)	31.10.2012
5.	39/2010	श्री नरेश कुमार सुरोलिया संयुक्त निदेशक, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर	II/45, गांधीनगर	30.11.2018
6.	30/2011	डॉ0 संजीव जायसवाल असिस्टेन्ट प्रोफेसर, सर्जरी, यूरोलोजी विभाग सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	2/6, हीराबाग	30.6.2034
7.	36/2011	श्रीमती मंजु नन्दा संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर संभाग प्रथम, जयपुर	702, मॉडल टाउन, मालवीयनगर	31.12.2025

O/C (web)
5-10-2011

शर्तें–

1. आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 14(ii)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो बन्द किया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहा है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा स्वयं/पत्नि या उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।

9 उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर।
5. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, जवाहरलाल नेहरु मार्ग, जयपुर।
6. उप निदेशक शिक्षा (माध्यमिक), जयपुर संभाग, जयपुर।
7. आयुक्त, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर।
8. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
9. निदेशक चिकित्सा एव स्वास्थ्य परिवार कल्याण सेवायें (आईईसी), जयपुर।
10. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर–कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
11. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
12. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 / जन स्वा0अभि0वि0 / जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर / मालवीयनगर, जयपुर।
13. संबंधित विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या–6 की पालना को भी अमल में लावें।
14. समस्त संबंधित अधिकारीगण।
15. निदेशक, उद्यान विङ्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या–8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
17. शासन सहायक सचिव (नोडल अधिकारी) सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5) विभाग।
18. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
19. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव